

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज0 जयपुर।  
क्रमांक:- प्रशि/जीएनएम/2012/ दिनांक:-

आदेश

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण सत्र 2011-12 में प्रवेश प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से बंद की जाती है।

501  
अति0 निदेशक (प्रशि.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- प्रशि/जीएनएम/2012/02

दिनांक:- 2 <sup>0/</sup>  
12

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को निदेशालय की एकल पत्रावली पर राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आई.डी. क्रमांक 8549/पी.एच.एस./11 दिनांक 20.12.2011 पर अनुमोदन के संदर्भ में।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अधीक्षक सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर/ भरतपुर/ सीकर/ भीलवाडा/ श्रीगंगानगर/ पाली/ जालौर/बाडमेर/बांसवाडा।
7. अध्यक्ष/सचिव प्राइवेट निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ेडरेशन, ई-277, लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स, राजस्थान।
9. रेजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेज कर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
11. रक्षित/आदेश/निजी पत्रावली

अति0 निदेशक (प्रशि.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर।